न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0 ।

R. 5119-पी/15

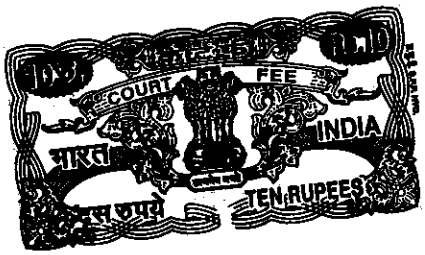

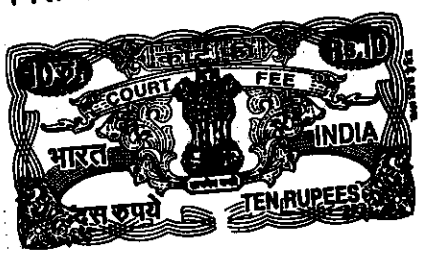

(22)

1o

आवेदक गण की ओर से श्री अवस्थी एड. द्वारा पेश 20.10.15

1- बाल्मीक तनय रामसुन्दर पटेल उम्र 50 वर्ष पेशा खेती,
2- रामेश्वर तनय रामसुन्दर पटेल उम्र 53 वर्ष पेशा खेती,
3- सीताराम तनय रामसुन्दर पटेल उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
4- रामसुन्दर तनय गंगा पटेल उम्र 80 वर्ष पेशा खेती,
------ सभी निवासी ग्राम नादन शारदा प्रसाद तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 -------- निगरानी कर्ता गण ।

बनाम

1- मेसर्स एस0एन0एस0 (मिनरल्स) लिमिटेड मैहर द्वारा मुख्तारआम एस0पी0 तिवारी तनय श्री आर0के0 तिवारी निवासी रीवा रोड मैहर जिला सतना म0प्र0 ---------- अनावेदक ।

473
20.10.15

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र0क्र0 586/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 4-6-15 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

निगरानी कर्ता गण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1- अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

2- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आ0नं0 279, 288, 289, 290, 292, 293, 297 स्थित ग्राम तमुरिया बाल्मीक के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है तथा उसका कुल रकबा 0-473 हे0 है एवं आराजी नंबरी- ... 282, 283, 291/1 एवं 296/1 रकबा 1-338 हे0 ... एवं

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5119–दो/15 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदिके हस्ताक्षर
4.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित। अनावेदक कमांक–1 केवियेटकर्ता की ओर से श्री श्रवण पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। 2– आवेदक अधिवक्ता ने प्रकरण की कायमी पर तर्क दिये। आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 586/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 4.6.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि कलेक्टर सतना द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) का उल्लंघन किया गया है, कोई भी प्रतिकर राशि न तो जमा की गई और न ही आवेदकगण को भुगतान की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो प्रतिकर की राशि निर्धारित की गई है वह किसी मापदण्ड व आधार के है । इस प्रकरण से वह पूरी तरह से व्यथित हैं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का अधिकार धारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (4) के अन्तर्गत आवेदकगण को प्राप्त होने के बावजूद उन्हें इस संबंध में कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जबाव में यह स्पष्ट किया था कि उनके स्वामित्व की	

भूमि खसरा न0 291/1 पर रहायशी मकान व टूयूबवेल बना हुआ है। रहायशी मकान में वे सहपरिवार रहते हैं। इसके अलावा जिन भूमियों पर उत्खनन की अनुमति दी जा रही है वह तमोरिया ग्राम में स्थित है इसका रकवा 8.00 एकड़ भूमि स्थित है जो एक बांध के रूप में है। तमोरिया व बठिया ग्राम की सीमा पर उक्त बांध स्थित होने के कारण बांध का लगभग 15.00 एकड़ रकबा बठिया ग्राम की सीमा में आता है ऐसी स्थित में उत्खनन किये जाने पर पूरा बांध ही आवेदकगण का प्रभावित हो जावेगा। पटवारी प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण की भूमि से मात्र 132 मीटर की दूरी पर नर्वदा बरगी नहर जो कि बहुत बड़ी नहर है। कलेक्टर द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि शासन को संहिता की धारा 247 में अवधि अधिकार प्राप्त होने के कारण शासन द्वारा लीज स्वीकृत कर दिये जाने के कारण भू– प्रवेश की अनुमति देने संबंधी कार्यवाही में आवेदकगण की सुनवाई किया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदकगण द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उनके पीठ पीछे लीज स्वीकृत की गई है जबकि वे अपने जीविकोपार्जन हेतु रखी गई खेती की भूमि किसी भी तरह से नहीं देना चाहते हैं। कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्वांत का खुला उल्लंघन करते हुये मात्र प्रतिवेदन के आधार पर विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

4– आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि हैं यह भी निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण कृषक है और वह खेती की आय पर ही उनका पूरा परिवार आश्रित है, सभी जमीनें आपस में मिली हुई तमोरिया

गांव में स्थित है कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष अनावेदक की ओर से दिनांक 3.6.14 को आवेदन पेश कर आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमियों पर प्रवेश करने तथा उत्खनन किये जाने की अनुमति चाहे जाने पर कलेक्टर द्वारा अगली पेशी नियत कर दी, आवेदकगण को सुने व साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया । उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 247 (3) में यह आज्ञापक प्रावधान दिया गया है कि उपरोक्त आशय का आदेश पारित करने के पूर्व प्रभावित भूमि में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों पर सूचना की तामीली विधिवत की जावेगी। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर व अपर आयुक्त का आदेश अवैध एवं विधि प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे।

5—अनावेदक केवियेटकर्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण के विरूद्व कलेक्टर सतना में म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (3) (4) (5) अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से जांच कराया जाकर मुआवजे का निर्धारण करते हुये प्रकरण कलेक्टर जिला सतना में भेजा गया था जिसका प्रकरण कमांक 16/अ—67//13—14 है जिसमें सुनवाई के पश्चात दिनांक 27.6.14 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क में कहा कि **आवेदकगण को विधिवत सूचना योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई है इसके बावजूद भी 2008 राजस्व निर्णय 332 श्यामबिहारीसिंह विरूद्व म0प्र0 शासन एवं अन्य में यह अवनिर्धारित किया गया है कि धारा 57 सहपठित धारा**

247 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत राज्य निजी भूमि के भी नीचे पड़े खनिजों का स्वामी है, पटटेदार के पक्ष में पटटा प्रदान कर सकता है सतही भूमि के स्वामी की सहमति आवश्यक नहीं है तथा यह भी अवनिर्धारित किया है कि प्राइवेट व्यक्ति की भूमि के नीचे खन अथवा खनिज का पटटा आदि प्रदान किया जाना, ऐसे व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक नहीं है, उसका हित इन उपबंधों के अधीन पूर्णतः सुरक्षित है और उसी हित के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जावे।

6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया। प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा अनावेदक को वादग्रस्त भूमि की लीज स्वीकृत कर ली, क्षेत्र में संलग्न साइड प्लान नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार धारा 247 (5) के अनुसार शर्त के अनुसार भू–प्रवेश की अनुमति दी गई थी तथा यह भी लेख किया गया था कि खनिज साधन विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 3–7/2001/12/2 भोपाल दिनांक 10.4.01 में स्वीकृत लीज की निर्धारित शर्त का पालन किया जाय। कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के तहत अनावेदक शर्तो का पालन किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बादग्रस्त भूमि म0 प्र0 शासन की भूमि है। अनावेदक द्वारा लीज के अनुसार कलेक्टर से भू–प्रवेश की अनुमति चाही गई

थी। कलेक्टर के द्वारा प्रकरण का विधिवत परीक्षण कर नियमानुसार भू–प्रवेश की अनुमति का आदेश पारित किया गया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहंचा हूँ कि कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती विरूद्व सत्यनारायण मान0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं "** । परिणामस्वरूप कलेक्टर जिला सतना का प्रकरण कमांक 16/अ–67/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.6.14 एवं अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 586/अपील/13–14 में परित आदेश दिनांक 4.6.2015 विधि सम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों में भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य